न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 38/2018

तारीख रजू:– 04.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल जाति स्वर्णकार निवासी महूखास तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान —————————— वादी

बनाम

1. श्रीमती शकुन्तला पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण | जाति स्वर्णकार निवासी महूखास
2. दिनेश चन्द पुत्र स्व0छी भौरीलाल | तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली —— प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा आराजीयात व पत्थरगढी

उपस्थित :– 1. श्री भगवानसहाय जैन एडवोकेट वादी
2. श्री उमेश चन्द दत्तात्रेय एडवोकेट प्रतिवादी सं02
3. श्री राधामोहन गोस्वामी एडवोकेट प्रतिवादी सं01

निर्णय

दिनांक :– 8-3-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात एवं पत्थरगढी विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 0.10 है0 गै0मु0 चाह ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें एक पुख्ता चाह डेमेज स्थिति में बना हुआ है। शेष जमीन कृषि योग्य है, जि[illegible] पाटौर डली हुई है। उक्त भूमि फरीकेन के आस–पास की भूमि में [illegible] हुई फसल के खलियान डालने के काम में आती है उक्त भू[illegible] ने सिंचाई के लिए इसी साल बौर कटा रखा है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वादी 7/16 हिस्से का, प्रतिवादी सं01 हि0 7/16 हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तथा प्रतिवादी सं02 का 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। पक्षकारान एक ही परिवार के स्व0 श्री भौरीलालजी की सन्तानें हैं। वादी तथा प्रतिवादी सं02 सगे भाई हैं तथा प्रतिवादी सं01 वादी की पत्नि है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं02 को वादी के विरूद्ध वादी से वैमष्यता रखने वाले लोगों ने बहका रखा है। इसलिए प्रतिवादी सं02 वादी से हमेशा दुश्मनी रखता है तथा आराजी मुतदाविया को लेकर हमेशा वादी से झगडा करता रहता है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादी ने प्रतिवादी सं02 से आराजी विवादग्रस्त का बंटवारा करने के लिए अनेक बार तहसील में चलकर बंटवारा तस्दीक कराने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादी सं02 तहसील कार्यालय चलकर बंटवारा कराने के लिए तैयार नहीं है। वादी ने प्रतिवादी सं02 को दिनांक 31.05.2018 को उसके घर जाकर यह कहा कि विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा करके खातेदारी अलग अलग करा लो तथा अपने अपने हिस्से की पत्थरगढी करा लो, तो प्रतिवादी सं02 वादी से अत्यधिक नाराज हो गया तथा उसने आराजी मुतदाविया का बंटवारा करने एवं आराजी मुतदाविया में पत्थरगढी करने से मना कर दिया तथा उसने स्पष्ट रूप से धमकी दी िकवह साढ के महिने में वर्षात होने पर अपने हिस्से से अधिक भूमि को जोत कर उस पर कब्जा करेगा। इसलिए दावा हाजा बाबत् तकास्मा एवं कराये जाने पत्थरगढी दायर करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि दावा हाजा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा –53 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें लैण्ड होल्डर को फरीक मुकदमा बनाना आवश्यक है। इसलिए प्रतिवादी सं03 को फरीक मुकदमा बनाया गया है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 31.05.2018 को वादी के कहने पर प्रतिवादी सं02 द्वारा आराजी विवादग्रस्त का बंटवारा करने की मना कर दने तथा बाद बंटवारा उक्त भूमि की पत्थरगढी करने से इन्कार कर देने से बमुकाम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन अन्दर हदूद आराजी अदालतवाला उत्पन्न हुई है। दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.18 12:35:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकाश्मा आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 0.10 है0 गै0मु0चाह वाके ग्राम गहूइब्राहिमपुर मुतजिका मद नं01 वाद पत्र प्रारम्भिक डिक्री फरमाया जाकर उक्त आराजी में वादी का 7/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं01 का 7/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं02 का 1/8 हिस्सा जरिये कमिश्नर अलग अलग विभाजित किया जाकर बंटवारा स्कीम मंगाई जाकर अंतिम डिक्री पारित की जावे। दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् पत्थर गढी डिक्री फरमाया जाकर वादी का 7/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं01 का 7/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं02 का 1/8 हिस्सा की अलग अलग पत्थरगढी की जाकर फरीकेन के हिस्से के अनुसार उनसे खर्चा वसूल किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं03 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं01 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयी तथा इकबालिया जबावदावा पेश कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

प्रतिवादी सं02 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया तथा जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं01 में खसरा नम्बर 847 रकबा 0.10 है0 होना स्वीकार है लेकिन उक्त मद नं01 में कुआ था, डैमेज होना गलत बताया गया है। कुआ व ट्यूबबैल दोनों चालू हैं। यह बात भी गलत है कि शेष जमीन कृषि भूमि के उपयोग बल्कि इसमें खिलान के काम आती है। कृषि योग्य नहीं है। नींव, पीपल के पेड हैं तथा तीन गैह दुपल्ला पाटौर है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं02 में सामलाती खातेदारी होना स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के [illegible] गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी सं02 वादी से कोई [illegible] और ना ही किसी के बहकावे में आ रहे हैं ना ही प्रति[illegible] दुश्मनी रखते हैं। ना ही कोई झगडा करते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.18 12:35:5
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं04 वाद पत्र का मद नं04 गलत है, स्वीकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण से कोई भी बंटवारा के लिए नहीं का है ना ही तहसील में चलकर बंटवारे को कहा है। उक्त खसरा नम्बर में एक कुआ अगवान है। खिलान है जो कि शामलाती काम आते हैं तथा दिनांक 31.05.2018 वाली बात कतई गलत है तो भूमि बंटवारा को कहा गलत है ना ही पत्थगरगढी की कहा है ना ही प्रतिवादी सं02 ने वादी से अत्यधिक नाराज है तथा उक्त आराजी के तकास्मा व पत्थरगढी नहीं हो सकती है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं06 वाली बात कतई गलत है। दिनांक 31.05.2018 को कोई भी बात बंटवारे बाबत् प्रतिवादी से नहीं की है ना ही बंटवारा व पत्थरगढी की कही।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं09 स्वीकार नहीं है। वादी कोई रिलीफ पाने का मुश्तहक नहीं है।

जबावदावा के मद नं010 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि वादी व प्रतिवादी सं01,2 की उक्त आराजी में फसल की सिंचाई हेतु कुआ है। पाटौर अगवाईन है, खिलान जो कि फसल को कटवाने के लिए काम आता है उक्त खसरा नम्बर में पत्थरगढी व बंटवारा कैसे हो सकता है। खसरा नम्बर 847 रकबा 10 एयर जिसमें पाटौर अलगवान कुआ खलियान आ रहे है जो कि वादी व प्रतिवादीगण के लिए सामलाती काम आते हैं। वादी प्रतिवादीगण के पत्थरगढी कैसे हो सकती है, जिसमें कुआ शामलाती है। अतः दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 0.10 हे0 वाके महूइब्राहिमपुर का अपने तथा प्रतिवादी सं01 व 2 के मध्य बंटवारा कराने का मुश्तहक है। – वादी

2. अनुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2020–73 प्रदर्श–1, नकल नक्शा हाल नम्बर प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2070–73, पेश की है तथा जुवानी सहादत में वादी लक्ष्मीनारायण ने शपथपत्र पेश कर बयान कराये हैं।

वकील प्रतिवादी सं02 ने दिनांक 22.02.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने में अनापत्ति देते हुए आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये।

वादी एवं प्रतिवादी सं01 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण ने दौराने बहस वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2020–73 प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी दिनेश चन्द पुत्र भोरीलाल हि01/8 लक्ष्मीनारायण पुत्र भोरीलाल हि0 7/16, शकुन्तला पत्नि लक्ष्मीनारायण हि0 7/16 जातियान स्वर्णकार निवासी महूखास के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजीयात में हिस्सा 7/16 भाग का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से की भूमि का विधिवत रूप से तकास्मा कराकर अपना अलग खाता व लगान कायम कराने एवं बंटवारा स्कीम प्राप्त होने के वाद अपने हिस्से की भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी साबित है। जिसमें प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् तकास्मा आराजी एवं पत्थरगढी प्राथमिक डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा आराजी एवं **पत्थरगढी प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन का दिनेश चन्द पुत्र भोरीलाल हि01/8, लक्ष्मीनारायण पुत्र भोरीलाल हि0 7/16, शकुन्तला पत्नि लक्ष्मीनारायण हि0 7/16 जातियान स्वर्णकार निवासी महूखास तहसील हिण्डौन**

Signature Not Verifi
Digitally signed by Anoo
Date: 2022.06.18 12:35:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार हिण्डौन को 500/–रूपया फीस पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौके पर पहुॅचकर उक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार तहसील हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8-3-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Si
Date: 2022.06.18 12:35:56 I
Reason: SelfAttested